न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 56/2021
दायर दिनांक :– 10.08.2021

अनवान

श्रीमति परवीन शाहिन पत्नी मुस्तफा खान जाति मुसलमान निवासी चमन चौराहा जहाजपुर

वादी.........

बनाम

जाहिदा बानु पत्नी सिकन्दर खान जाति देशवाली मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भट्टा बस्ती केशर के पास जहाजपुर

प्रतिवादी......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री जाकिर हुसैन, वकील वादी

:: निर्णय :: दिनांक 19 .09.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जहाजपुर पटवार हल्का जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में वादीया की खातेदारी अधिकार एवं अधिपत्य की खतौनी नं. 592 में आराजी सं. 7449/6743 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि स्थित हैं। प्रतिवादी संख्या 01 का पति सिकन्दर देशवाली पोल्ट्री व्यवसायी होकर धनिक वर्ग से है। उक्त वर्णित कृषि आराजी का पड़ोसी है उक्त प्रतिवादिया का वादी की कृषि भूमि से कोई लेना देना नहीं है। प्रतिवादिया का पति राजनैतिक रसुख वाला व्यक्ति है जबकि वादिया के पति की सिलाई की दुकान होकर एक गरीब व्यक्ति होकर गरीब काश्तकार है वादिया की कृषि भूमि को प्रतिवादी सं. 1 हड़पने की नियत रखती है। प्रतिवादी सं. 1 ने पूर्व में वादिया की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि को कम ज्यादा बताकर कब्जा करने की धमकी दी व बाद में जबरन शक्ति के बल पर वादिया की जो कृषि भूमि जो उक्त वर्णित है के कुछ भाग पर कब्जा बना लिया तब वादिया ने अपनी भूमि की सीमा की जानकारी हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर उसमे हुए आदेशानुसार आदेश की पालना में दिनांक 25.06.2021 राजस्व अधिकारी गिरदावर एवं पटवारी, वादिया व प्रतिवादिया व अन्य पडोसियान की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की एवं स्थाई सीमा चिन्हों के पत्थर गाडे जिसमें की वादिया की कृषि भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 का 0–10 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा होना जाहिर हुआ वादिया ने प्रतिवादिया को इसका अवैध कब्जा छोड़कर वादिया की कृषि भूमि का कब्जा सुपुर्द करने को कहां तो इसने आश्वासन दिया कि कब्जा हटा दूंगी। बाद में वादी ने कब्जा हटाने को कहां तो टालमटोल किया एवं दिनांक 20.07.2021 को प्रतिवादिया ने इसका अवैध कब्जा हटाने से साफ मना कर दिया जिससे वाद हेतुक दिनांक 20.07.2021 से ही उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादिया अपनी खातेदारी कृषि भूमि जो उक्त वर्णित है में से प्रतिवादिया सं. 1 द्वारा जबरन बनाया गया कब्जा प्रतिवादिया सं. 1 को बैदखल करा स्वयं कब्जा प्राप्त कराना चाहती है एवं अपनी खातेदारी भूमि पर शांति पूर्ण काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करने बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द कराने की अधिकारी हैं। अतः निवेदन है कि वादिया कि खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

कृषि भूमि से प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जबरन बनाया कब्जा हटाकर प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल करा वादपत्र के पेरा सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि मौका पर्चा दर्शाये जुज भाग 0.10 बिस्वा कृषि भूमि से बेदखल कर भूमि का कब्जा वादिया को दिलाये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 के सादर पारित कराना फरमावे। वादिया कि खातेदारी भूमि में शांति पूर्ण कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करने बाबत् प्रतिवादी सं.1 को व इनके नौकर, एजेन्ट, रिश्तेदारों द्वारा नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा की सर्वकालिन डिक्री से पाबन्द कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी बावजूद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में खाता सं. 592 नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की प्रति प्रदर्श 1, दिनांक 25.06.2021 को कराई गई पत्थरगढी का मौका पर्चा प्रदर्श 2 है जो शामिल फाईल है। एवं ब्यान गवाह में स्वंय वादी परवीन शाहिन पी. डब्ल्यु 1, कुदरततुल्ला पी. डब्ल्यु 2, आलम बेग पी. डब्ल्यु 3 के ब्यान करवाये गये, जिसे शा0 फा0 किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी बहस के दौरान बताया कि वादीगण आ. न. 7449/6743 कुल किता 01 रकबा 04–06 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नही है। वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादी का जबरन बनाया अवैध कब्जा हटवाकर एवं प्रतिवादी को बेदखल करा उक्त वर्णित भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिकी वादी के पक्ष में पारित की जावें एवं बाद कब्जा वादी को दिलाने पर प्रतिवादी वादी के कब्जा काश्त में बाधा न डाले, न डलवावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी के आदेश प्रदान किये हेतु निवेदन किया गया।

मैने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2072–75 प्रदर्श 1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 7449/6743 कुल किता 01 रकबा 04–06 बीघा कृषि भुमि वादी के नाम दर्ज है। आ0 स0 7449/6743 कुल किता 01 रकबा 04–06 बीघा में से 0–10 बीघा भू भाग पर प्रतिवादी ने मौके पर कब्जा कर लिया है, जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा प्रदर्श 2 से होती है। प्रतिवादी उक्त भूमि पर अतिचारी है, जिन्होनें बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के वादीगण की भूमि पर कब्जा कर लिया है। अतः वादी अपनी भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कराने का अधिकार रखते है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी की खातेदारी भुमि खसरा नं. 7449/6743 कुल किता 01 रकबा 04–06 बीघा में से 0–10 बीघा भू भाग कृषि भुमि पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा कर लेने से वादी कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्तानुसार न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम जहाजपुर प0 ह0 जहाजपुर तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 7449/6743 कुल किता 01 रकबा 04–06 बीघा में से 0–10 बीघा भू भाग पर प्रतिवादी द्वारा किये गये कब्जे से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

श्रीमति परवीन शाहिन पत्नी मुस्तफा खान जाति मुसलमान निवासी चमन चौराहा जहाजपुर

वादी..........

बनाम

जाहिदा बानु पत्नी सिकन्दर खान जाति देशवाली मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भट्टा बस्ती केशर के पास जहाजपुर

प्रतिवादी..............

दावा बाबत – **183, 188 आर. टी. ए.**
प्रकरण संख्या :– 56/2021

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री जाकिर हुसैन का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि ..

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम जहाजपुर प0 ह0 जहाजपुर तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 7449/6743 कुल किता 01 रकबा 04–06 बीघा में से 0–10 बीघा भू भाग पर प्रतिवादी द्वारा किये गये कब्जे से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.09.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner